Sr. No. 6(R)

15

ार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया उत्तर प्रदेश
ंख्याःएसटी–सी–351/2009 दिनांकः नवम्बर 20 ,2009

वा में,

सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छठी मंजिल 'बी' विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली।

कृपया पत्र संख्याः **LBG/SER/Attro/UP/2008/924/RU-I** दिनांक 24–9–2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक श्री लालबच्चा गोड पुत्र स्व0 फेकई सा0 परशुरामपुर थाना नगरा जनपद बलिया के प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जॉच कराकर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

1127/Gadw/09
27/11/09
ADRU-I

02– उपरोक्त के संदर्भ में श्री देशराज, क्षेत्राधिकारी रसडा, जनपद बलिया द्वारा जॉच कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जो स्वतः स्पष्ट है। प्राप्त प्रार्थना पत्र मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकःयथोपरि।

(चन्द्र प्रकाश)
पुलिस अधीक्षक
बलिया।

C:\2009\ST_20_NAGRA\ST_20_NAGRA.doc

पुलिस अधीक्षक

बलिया :

1: कृपया अपने आदेश संख्या: एसटी-सी-351/2009 दिनांक 4.10.09 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो निदेशक भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचितजाति/जनजाति आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या:एलबीजी/सेक्रेटरी/एतोथ /यूपी/2008/924/आरयू-1 दिनांक 24.9.2009 के माध्यम से प्राप्त आवेदक श्री लालबच्चा गोंड़ पुत्र स्व0 फेंकई गोंड निवासी परशुरामपुर थाना नगरा जनपद बलिया के प्रेषित आवेदन पत्र में अभिलिखित आरोपो की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने बिषयक है।

2:आरोप का संक्षिप्त बिवरण:

प्रार्थी अनुसूचितजनजति का गोंड़ ब्यक्ति है।अत्यन्त गरीब व ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लड़की कु0 [redacted] के साथ गांव के संजय यादव पुत्र करीमन ने जबरद जब वह बकरी चरा रही थी, उसके साथ डरा धमका कर बला कार किया।पुन: दुबारा भी बलात्कार किया। यह घटना कर पांच माह पूर्व की है।मै उस समय अपनी पत्नी की आंख का आपरे न, कराने भैरहवा गया हुआ था।मेरी [redacted] के पेट में तकलीफ होने पर उसकी मां ने कारण पूछा तो रोती हुई बतलायी संजय यादव ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है तथा धमकी दिया है कि अगर किसी से बतलायी तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जायेगा।मेरी लड़की के देखने से ऐसा लगता है कि उक्त बलात्कार के कारण उसके पेट में बच्चा है। मेरी लड़की अनपढ़ व बिल्कुल सीधी साधी है।घटना के समय मेरी लड़की के मुह में कपड़ा ठूस दिया था जिससे वह चिल्ला न सकी। घटना की सूचना थाना नगरा पर दिया तो दरोगा व मुंशी से पूरी बात बताया तो उनके द्वारा एक सादे कागज पर मेरा निशानी अगूठा लगवा लिया गया तथा कहे कि हम कार्यवाही करेगे।पुलिस के लोग दबाव देने लगे कि तुम सुलह कर लो हम लोग पैसा दिलवा देगे। प्रार्थी का एफआईआर भी थानाध्यक्ष नगरा द्वारा दर्ज नही

 11

किया गया । प्राथर्ना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया को दिया गया । पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार प्राथमिकी थाना नगरा पर दर्ज किया गया परन्तु थानाध्यक्ष महोदय नगरा द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण की धारा नही लगाया गया । अनुसूचित जाति की धारा लगवाने हेतु उच्चाधिकारीयो को निर्देशित करने की कृपा की जाय :

3:जांच के संबंध में स्थलीय निरीक्षण का दिनांक व समय :

उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण की जांच की गयी । प्रकरण से संबंधित का अभिकथन लेखाबद्ध किया गया । प्रासंगिक अभिलेखा का अवलोकन व सन्निरीक्षा किया गया । तदविषयक बिवरण जांच निम्नवत है :

4:साक्षियो के मौखिक साक्ष्य का संक्षिप्त बिवरण :

श्री लालबच्चा गोंड़ पुत्र स्व0 पैकई गोंड़ निवासी परशुराम पुर थाना नगरा जनपद बलिया द्वारा बयान किया गया है कि मेरा मुख्य धन्धा भूजा भूजने यानी भरसांय चलाकर जीवन यापन करने का है । पेड़ बागीचा कट जाने के कारण पत्ती आदि नही मिलती है इसलिए काम बन्द कर दिया गया । मेरी पत्नी को आंख से दिखायी नही देता है । मै ठेला चलाकर अपना तथा परिवार का जीवन यापन करता हू ।मेरी लड़की [redacted] है , जो अनपढ़ है उसके साथ मेरे गांव के ही मेरे दरवाजे के सामने उनका मकान है जिनका नाम संजय यादव है , ने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया , अनेक बार बलात्कार किया।जिस दिन घटना हुई उसके पूर्व व बाद में मै अपनी पत्नी की आंख दिखाने नेपाल गया हुआ था ।मुझे अथवा मेरी पत्नी किसी को भी बलात्कार होने की जानकारी नही हो सकी थी कारण यह कि मै दिन भर ठेलाचलाता हू तथा मेरी पत्नी को आंख से दिखायी नही पड़ता है ।करीब 5-6 माह बाद बिक्रम चौहान की पत्नी देवन्ती देबी द्वारा मुझसे नगरा बाजार में बताया गया कि दिन भर ठेला चलावत हउवा,धरवा जाला त कुछ देखो सुने ला नाही ,उनके माध्यम से मुझे जानकरी हुई तो मै घर आकर अपनी लड़की से इस बात के बावत जानकरी किया तब मेरी लड़की ने बतायी कि संजय यादव मेरे साथ बुरा काम किया है । एक बार नही अनेक बार तथा धमकी व प्रलोभन दिया कि बताना मत । इसके बाद मै संजय यादव के परिवार के लोगो से पूछा तो वे लोग मुझे ही उल्टे धमकी देने लगे तथा कहे कि आरोप झूठा लगा रहा है ।

18

मै लगभग पांच दिन तक इन्तजार किया कि संजय यादव के परिवार के लोग अगर कुछ दे देगे तो मामला सुलह हो जायेगा परन्तु पांच दिन तक कोई रिस्पान्स न मि पर मैने सीधे विधायक श्री रामइकबाल सिंह से पूरी बात को बताया तो उनके द्वारा कहा गया कि लड़की को लेकर बलिया पहुचो मै वही चल रहा हू ।लड़की को लेकर बलिया गया तो मौके पर दरखास्त रामप्रवेश चौहान जो विधायक जी के ही साथ रहते है ने लिखा तथा एसपी साहब के पास जाकर दिया गया जिनके आदेश पर मुकदमा लिखा गया ।

प्रश्न1: घटना के कितने दिन बद आप को जानकरी हुई कि आप की लड़की के पेट में संजय यादव का बच्चा पल रहा है ?

उत्तर: करीब 5-6 माह बाद ।

प्रश्न2: थाने पर आप कब गये ?

उत्तर: मुकदमा लिखाने के बाद थाने पर गया था । इसके पूर्व मै थाने प नही गयाथा । संजय के परिवार ने एक पैसा का मदद नही किया है ।मेरी लड़की एक बच्ची है जेाकरीब साल भर की है । मुकदमा चल रहा है साक्ष्य में है 6.11.2 09 को तारीख थी मै तारीख पर नही जा सका था वकील साहब अगली तारी लिए है । मुकदमा में मेरा बयान व मेरी लडकी का बयान हो चुका है ।न्याय किय जाय । दिनांक 11.11.2009 समय11:20 बजे स्थान : कार्यालय क्षेत्राधिकारी रसड़ा जनपद बलिया /निशानी अगूठा लालबच्चा गोड़ , बाया ,

श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री लालबच्चा गोंड़ निवासी परशुरामपुर थाना नगरा जनपद बलिया द्वारा बयान किया गया है कि मेरा मुख्य धन्धा भूजा भूजने का है । मेरे आंख से मामूली सी दिखायी पड़ता है ।मेरी लड़की के साथ जब संजय यादव ने बुरा काम किया तो उस समय मैं अपनी पति के साथ नेपा में थी । आंख नही बन पायी है । डा0 कहे कि समलबायी है । इसके बाद पांच दिन तक नेपाल रही पुनः चली आयी । इसके बाद शादियाबाद गाजीपुर में समलबा की दवा इलाज करायी ।मेरी लड़की के पेट में संजय यादव का बच्चा करीब 5-6 माह का हो गया तब मुझे भी जानकरी हुई । इसके बद हम लोग गरीब आदमी करीब 5-6 दिन तक इन्तजार किया गया कि संजय के परिवार के लोग कुछ रुपया पैसा दे देगे परन्तु जब उन लोगो ने कोई उत्तर नही दिया तब बिधायक जी को पूरी बात बताकर उनके साथ बलिया जाकर दरखास्त दिया गया । जहा से मुकदम लिखवाया गया है । थाने पर हम लोग मुकदमा लिखाने के बाद गये थे । मेरी बच्ची के पास एक साल भर की बच्ची है ।शादी नही हो पायी है ।न्याय किया

जा ।नि0अंगूठा श्रीमती बसन्ती देबी दाहीना दिनांक 11. 11. 2009 समय 11:45 बजे स्थान: कार्यालय क्षेत्राधिकारी रसड़ा बलिया :

अनीता पुत्री बच्चालाल गोंड निवासी परशुरामपुर थानानगरा जनपद बलिया द्वारा बयान किया गया है कि मेरी उम्र करीब 17-18 साल के आस पास होगी । मै पढ़ी लिखी नही हू ।मै बकरी चरा रही थी । संजय यादव मे पास आया तथा जबरदस्ती गन्ना की खेत में ले गया तथा मेरे साथ बलात्कार किया तथा धमकी दिया कि किसी से कुछ कहना मत, मेरे साथ दो दिन बलात्कार किया उसके कहने के अनुसार मैंने किसी से कुछ नही कही । मेरे पेट में संजय क बच्चा पल रहा था । मै लाज व डर के कारण इस बात को अपने माता-पिता अथवा किसी से नही कहा ।करीब 6 माह बाद जब मेरा पेट उभर आया तो मेरे माता पिता की जानकरी हुई । इसके बाद सुलह करने का प्रयास मेरे माता पि द्वारा किया गया ममला हल न होने प्रर पिता जी के साथ बलिया गयी जहा से मुकदमा लिखा गया है । संजय की जन्मी मेरे साथ एक साल की बच्ची है जो आ के सामने है ।शादी नही हुई है । हम लोग जाति की भड़भुज है ।मुकदमा न्याया लय में चल रहा है ।मेरा बयान हो चुका है ।मै थाने पर कभी नही गयी थी जब मुकदमा लिखा गया तो दरोगा जी बुलाए तो मै थाने पर गयी थी ।न्याय किया जाय । समय 12:45 बजे दिनांक 11. 11. 2009 निशानी अंगूठा अनीता स्थान: कार्यालय क्षेत्राधिकारी रसड़ा जनपद बलिया :

श्री एस0एन0 यादव थानाध्यक्ष उभांव जनपद बलिया तत्कालीन थानाध्यक्ष नगरा जनपद बलिया द्वारा बयान किया गया है कि दिनांक 4. 8. 08 को मै बतौर थानाध्यक्ष नगरा नियुक्त था ।श्री बच्चालाल गोंड अपनी पुत्री के साथ बलात्कार होने की सूचना लेकर कभी भी मेरे सामने नही आया था घटना के करीब पांच माह बाद आवेदक श्री लालबच्चा गोंड का आवेदन पत्र श्रीमा पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया के स्तर से जांच कर कार्यवाही करने के बावत मिला जिसमें आधार पर तत्काल जांच कर सत्यताकी जानकरी किया गया , तथा मामले का पंजीकरण अन्तर्गत धारा 376,506 भादवि के किया गया तथा प्रकरा की बिवेचना मेरे द्वारा स्वयं ग्रहण कर आरम्भ की गयी । प्रकरण में मजरूवा कु0 [redacted] का मेडिकल परीक्षण कराया गयातथा 164 जा0फौ0 के तहत कलम बन्द बयान कराया गया । कलम बन्द बयान व मेडिकल परीक्षण आख्या के अधार पर पिड़िता की उम्र करीब 19 साल तथा उसके पेट में पांच माह काबच्चा होना साबीत हुआ । उपजिलाधिकारी बिल्थारारोड की आख्या तथा गोंड जाति

20

भाइभूज होने का प्रमाण मिला जो पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं । फलत: प्रकरण में अनुसूचितजाति/जनजाति की धारा का उपयोग नही किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 5.8.2008 को ही तत्काल प्रयास करके कर लिया गया । आरोप प्रमाणित होने पर प्रकरण मे आरोप पत्र संख्या:76/2008 दिनांक 27.8 2008 को सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही पूर्ण कर प्रेषित किया गया । प्रकरणमें सत्यता यह है कि अभियुक्त द्वारा बादी मुकदमा की लड़की के साथ बलात्कार किया गया तथा उससे अनेक बार शारीरिक संबंध भी बनाया गया । जब आवेदक की लड़की के पेट में पांच माह का बच्चा रह गया तथा इसकी जानकारी हुई तो आवेदक द्वारा सीधे राजनैतिक व्यक्तियो से सम्पर्क कर मामला पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया को योजित किया गया । जहा से मुकदमा लिखा गया । आवेदक थाने पर नही आया था । हस्ताक्षर दिनांक 10.11.2009 समय 10:00 बजे स्थान कार्यालय क्षेत्राधिकारी रसड़ा बलिया :

हे0मु0 9 ना0पु0 भगवान राम थाना नगरा जनपद बलिया द्वारा बयान किया गया है कि श्री लालबच्चा गोंड निवासी परशुरामपुर थाना नगरा जनपद बलिया कभी भी मेरे सामने अथवा कार्यालय में नही आया था । आवेदक का आवेदन पत्र सीधे उपर से प्राप्त हुआ जिसके आधार पर मुकदमा लिखा गया तथा गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही की गयी है । समय 11:00 बजे दिनांक 10.11.2009 कार्यालय क्षेत्राधिकारी रसड़ा जनपद बलिया :

5: अभिलेखीय साक्ष्य:

पेशी हाजा के अभिलेखो के अवलोकन से पाया गया कि मु.अ.सं. 110/2008 धारा 376,506 भादवि का अपराध बादी मुकदमा श्री लालबच्चा गोंड़ पुत्र श्री पेकई गोंड़ निवासी परशुरामपुर थाना नगरा जनपद बलिया के सूचना के आधार पर दिनांक घटना पांच माह पूर्व के क्रम मे दिनांक 4.8.2008 को बनाम संजय यादव पुत्र करीमन यादव निवासी परशुरामपुर थाना नगरा जनपद बलिया पंजीकृत किया गया है ।प्रकरण की बिवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष नगरा श्री एस0एन0 यादव ग्रहण कर आरम्भ की गयी ।बिवेचना के दौरान अभियुक्त संजय यादव दिनांक 5.8.2008 को गिरफ्तार किया गया । मजरूवा का बयान अन्तर्गत धारा 164 जा0फौ0 लेखाबद्ध कराया गया है । बयान के आधार पर अभियुक्त संजय यादव द्वारा बलात्कार करने व जान माल की धमकी दिये जाने की बात प्रकाश मान है ।मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मजरूवा/पिड़िता के पेट में पांच माह का

21

गर्भ होना तथा उम्र करीब 17 साल अंकित किया गया है ।

उपजिलाधिकारी बिल्थारारोड की आख्या के आधार पर आवेदक भड़भूज जाति का होना पाया गया है , जो पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता के आधार पर अनुसूचितजाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा का न लगाया जाना पाया गया है ।विवेचनासे पर्याप्त साक्ष्य/आधार पाये जाने पर अभियुक्त काचालानद्वारा आरोप पत्र संख्या:76/2008 दिनांक 27.8.2008 किया गया है । प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन न्यायालय है ।

6: साक्ष्यो का विश्लेषण:

प्रश्नगत प्रकरण की जांच के मध्य उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश में आया कि आवेदक श्री लालबच्चा गोंड़ की पुत्री कुमारी अनीता के साथ उसी के गांव के संजय यादव पुत्र करीमन यादव द्वारा बलात्कार की घटना कारित किया गया तथा इस बात को किसी से न कहने आदि की धमकी भी दियागया जिसके आधार पर आवेदक की पुत्री कुमारी [redacted] द्वारा इस बात को अपने माता-पिता अथवा परिवार के किसी भी सदस्य को नही बतायागया ।आवेदक की पुत्री के पेट में संजय यादव पुत्र करीमन यादव का जब पांच-छ: माह का बच्चा पलने लगातब प्रकरण की जानकरी गांव के श्री विक्रमा चौहान की पत्नी श्रीमती देवन्ती देबी के मध्यम से आवेदक को हुई तो आवेदक द्वारा इस बात की जानकरी अपनी पुत्री से किया गयातो उसकी पुत्री द्वारा संजय यादव के द्वारा बलात्कार करने तथा किसी से बात न कहने की धमकी आदि दिये जाने की बात को बताया गया ।अवेदक द्वारा जब इस बात की जानकरी संजय यादव के परिवार वालो से चाही गयी तो उन लोगो द्वारा इस तरह की बात से इन्कार किया गया तथा अवेदक पक्ष को उल्टा सीधा सुनाया गया ।फिर भी आवेदक द्वारा करीब पांच-छ: दिन तक संजय यादव के परिवार के लोगो का इन्तजार किया गया कि हो सके कुछ ले देकर मामला सुलह हो जाय । परन्तु संजय यादव के परिवार से कुछ रिसपान्स न मिलने की दशा में आवेदक द्वारा अपनी पुरी बात श्री रामइकबाल सिंह पूर्व विधायक भाजपा से बताया जिसपर उनके द्वारा बलिया बुलाया गया जहा जाकर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र श्री रामप्रवेश चौहान से लिखावा कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया को दिया गया जिनके आदेश के अनुपालन मे मु.अ.सं. 110/08 धारा 376,506 भादवि का अपराध बादी मुकदमा की सूचना के आधार पर

222

दिनांक 4.8.2008 को बनाम संजय यादव पुत्र करीमन यादव निवासी परशुराम थाना नगरा जनपद बलिया पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष नगरा श्री एस0एन0 यादव ग्रहण कर आरम्भ की गयी तथा क प्रयास कर अभियुक्त संजय यादव को दिनांक 5.8.2008 को गिरफ्तार किया पिड़िता/मजरूवा का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा बयान अन्त धारा 164 जा0फौ0 लेखाबद्ध करवाया गया। मेडिकल परीक्षण आख्या के आधार पर मजरूवा/पिड़िता [redacted] की आयु 19 साल तथा उसके पेट में प माह का गर्भ होना पाया गया। बिवेचना के दौरान आरोप प्रमाणित होने प्रकरण में आरोप पत्र संख्या 76/2008 दिनांक 27.8.2008 अन्तर्गत धारा 376,506 भादवि प्रेषित किया गया। प्रकरण सम्प्रति बिचाराधीन न्याया है। उपजिलाधिकारी बिल्थारारोड की आख्या जो बिवेचना के दौरान प्राप्त किया गया था एवं बिवेचना से आवेदक भड़भूज जाति का पाया गया जो पि जाति की श्रेणी में आते है। फलतः प्रकरण में अनुसूचितजाति/जनजाति अत्याच निवारण अधिनियम की धारा का प्रयोग नही किया गया है।

7: निष्कर्ष:

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक की लड़की कुमारी [redacted] के साथ अ संजय यादव द्वारा बलात्कार की घटना कारित किया गया। फलतः उसके पेट गर्भ रहा। आवेदक की पुत्री द्वारा इस बात को अपने माता-पिता अथवा परिवार के किसी भी सदस्य को नही बताया गया। जब करीब पाँच-छः मा का बच्चा [redacted] के पेट में रह गया तब इसकी जानकरी उसके माता-पिता क हुई। जिसपर उनके द्वारा अपना आवेदन पत्र सीधे पुलिस अधीक्षक बलिया दिया गया। जहां से मुकदमा पंजीकरण की कार्यवाही हुई। आवेदक अथवा उसकी पत्नी या उसकी लड़की का थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकरण पूर्व नही पाया गया है। आवेदक भड़भुज जाति का पाया गया जो पिछड़ी की श्रेणी में आता है। फलतः अनुसूचितजाति/जनजाति की धारा का प्रयोग नही किया गया। आवेदक को मामला सुलह कराने का दबाव स्थानीय पुलिस द्वारा नही दिया गया है। आवेदक स्वंय ही सुलह करने के प्रयास में था, प जब मामला हल नही हो सका तब उपर जाकर आवेदन पत्र दिया गया है, पुष्टि आवेदक तथा अन्य के अभिकथन से होती है। सादे कागज पर निशान अगूंठा लगवाने आदि की बात में कोई सत्यता नही है। आवेदक द्वारा बाद

23

में विधिक राय लेकर आवेदन पत्र को अतिरंजीत कर अपने मामले को तूल देकर अवेदन पत्र कोयाजित कराया गया है । यह बात सत्य है कि अवेदक की पुत्री अनपढ़ है ।

8:संस्तुती:

प्रकरण में सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन न्यायालय है ।प्रकरण साक्ष्य में चल रहा है ।आवेदक/वादी मुकदमा व पिड़िता काबयान हो चुका है ।किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

संलग्नक: यथोपरि

दिनांक नवम्बर 14 2009

§ देश राज सिंह §

क्षेत्राधिकारी रसड़ा जनपद बलि